

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, जालोर

क्रमांक: F.10()Relief/food/2080/Inptsubsidy/SMF50/2025/ 257-268

दिनांक: 05/02/2026
03/02/2026

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2080/JAL/0011756

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2080 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6034730 दिनांक 11.03.2024 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2080 (खरीफ -2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
भाद्राजूल	2506	SMF	50%-75%	14503179
आहोर	2787	SMF	50%-75%	15885766
योग	5293			30388945

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(09)-[01]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
जालोर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature valid

Digitally signed by Prateep
Kesharao Gawande
Date: 2026.02.09 17:55:01 IST
Reason: SelfAttested



फसल खरीफ संवत् 2080 में बाढ़ से फसल खराबा

मद/गतिविधि के लिये संवत्/अवधि में लाभार्थियों की कुल संख्या	मद/गतिविधि में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों की		मद/गतिविधि में इस स्वीकृत में उक्त पात्र लाभार्थियों की		मद/गतिविधि में अवशेष लाभार्थियों की	
	संख्या	राशि रु.	संख्या	राशि रु.	संख्या	राशि रु.
1	2	3	4	5	6	7
खरीफ/संवत् 2080/ 78651 (7डी अनुसार कुल लाभार्थियों की संख्या)	19184	15.02 करोड़	3063	19715534	5000	—
			5293	30388945		
			17	68694		
			276	4472299		
			3660	54084654		
			01	17000		
कुल योग	19184	15.02 करोड़	12310	10,87,47,126	5000	—

विलम्ब का कारण :- फसल खरीफ संवत् 2080 में बाढ़ से फसल खराबा के संदर्भ में पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 31 हजार किसानों को अनुदान वितरण हेतु नियमानुसार स्वीकृतियां जारी कर 32 बिल ट्रेजरी भेजे गये थे, जिनमें से 24 बिलों को छोड़कर शेष 08 बिल वित्तीय वर्ष समाप्ति तक ईसीएस नहीं होने से ट्रेजरी द्वारा बिलों को रिजेक्ट या वापस कर दिये गये थे। जिसकी सूचना इस कार्यालय द्वारा विभाग को उपलब्ध करवाई जाने पर पोर्टल टीम द्वारा ईसीएस नहीं हो सके बिलों का डाटा पुनः सी-पेमेंट हेतु उपलब्ध करवाया गया था, तत्पश्चात् पोर्टल पर किये गये सुरक्षात्मक परिवर्तनों के मध्यनजर विभाग द्वारा पोर्टल प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्राप्त हुये डाटा को पुनः संबंधित पटवारियों एवं तहसीलदारों को भिजवाकर वेरिफाई करवाया गया। इसी दौरान पिछले वित्तीय वर्ष का 01 बिल कोषालय द्वारा सहवन से ईसीएस हो जाने पर उस बिल के कुल 1789 डाटा को लंबित डाटा में से हटाने एवं भुगतान में प्रदर्शित करने हेतु विभागीय पोर्टल टीम को लिखा गया। इस प्रकार पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान, डाटा को पुनः वेरिफाई करवाने एवं 01 बिल के डाटा को लंबित डाटा में से हटाने के संदर्भ में पोर्टल टीम को लिखा जाने पर उपरोक्त कारणों से विलम्ब हुआ है। चूंकि अब पात्र पाये गये काश्तकारों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर DMIS पोर्टल के माध्यम से बजट मांग की जा रही है। कृपया बजट उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

अति.जिला कलेक्टर
जालोर